न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 29/2022 अपील (GCMS 2022/36)
पंजीयन दिनांक– 06/04/2022
निर्णय दिनांक– 30/04/2026

दिनेश पिता भीमलाल मेघवाल, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

–अपीलांट

बनाम

1. कुन्दन लाल पिता हीरालाल मेघवाल, निवासी खरसाण, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार–वल्लभनगर, जिला उदयपुर
3. प्रधानाचार्य रेडियन्ट इन्टरनेशनल नेशनल स्कूल, खरसाण, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल – वकील अपीलांट
2. श्री ललित जैन – वकील रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 57/2020 दिनांक 29.11.2021

निर्णय

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 57/2020 निर्णय दिनांक 29.11.2021 के विरूद्ध पेश की गयी।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खरसाण, तहसील वल्लभनगर स्थित खसरा नम्बर 2295 रकबा 0.10 बिस्वा में

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

से 0.06 बिस्वा भूमि शंभुलाल व दीपक व्यास के नाम आवासीय रिकार्ड में दर्ज है तथा शेष 0.04 बिस्वा भूमि दिनेश मेघवाल के नाम दर्ज थी जिसमें से 0.02 बिस्वा भूमि दिनेश ने रास्ते के लिए समर्पित कर दी तथा शेष भूमि में ही मकान निमार्ण कर निवास कर रहा है। शंभुलाल द्वारा ही अपनी भूमि पर किराये पर स्कूल चलाया जा रहा है। रास्ते के लिए समर्पित भूमि में से ही स्कूल व दिनेश के मकान में आने जाने का रास्ता है। इस रास्ते की भूमि पर दरवाजा व दीवार बनाकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 22.07.2020 को आदेश पारित किया जिसमें मामला अतिक्रमण का नहीं मानते हुए कार्यवाही ड्रॉप कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध कुन्दनमल मेघवाल द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। जिला कलक्टर, उदयपुर ने दिनांक 29.11.2021 को तहसीलदार, वल्लभनगर का आदेश दिनांक 22.07.2020 को निरस्त करते हुए रास्ते हेतु समर्पित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया जाकर दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी।

विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट एक हितबद्ध पक्षकार है परन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे उसके विरूद्ध आदेश विधि विरूद्ध है। अपीलांट हित निहित होने से उसे सुना जाना आवश्यक है तभी सही न्याय हो सकेगा। इसलिए अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. का स्वीकार कर अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जावे, तथा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी इस कारण निर्णय की जानकारी से अन्दर मयाद अपील पेश की गई, जिसे अन्दर मयाद शुमार की जावे।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

यह भी बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 3 प्रधानाचार्य के सम्मन की तामील अधीनस्थ न्यायालय में नहीं हुई न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ फिर भी उनकी उपस्थिति मानते हुए आदेश पारित किया गया जो अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नज़र अंदाज किया कि भूमि समर्पण से पूर्व ही अपीलांट द्वारा दरवाजा व दीवार का निर्माण किया हुआ था, जब भूमि खातेदारी की थी। इसी रास्ते से अपीलांट अपने मकान एवं बच्चे स्कूल में आते जाते हैं। तहसीलदार का निर्णय न्याय संगत है। अधीनस्थ न्यायालय ने हितबद्ध पक्षकारों को बिना सुने निर्णय देकर नैसर्गिक न्याय का हनन किया है। दरवाजा व दीवार कृषि भूमि का भाग था जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था बाद में भूमि आवासीय कराने से रास्ते के लिए भूमि का समर्पण किया गया इसका आशय यह नहीं है कि अतिक्रमण किया गया है। कुन्दनमल के अलावा किसी को भी दीवार व दरवाजे से आपत्ति नहीं है। अंत में अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर का आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस करते हुए बताया कि सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर दीवार बना दी गई है। रेस्पोडेंट की पास में ही कृषि भूमि है। शंभुलाल ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह स्कूल चला रहा है, जो कि आवासीय भूमि है। पटवारी द्वारा बनाए गए पर्चा मौका की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि अपीलांट ने अवैध रूप से दीवार व दरवाजा बना रखा है। जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय न्याय संगत है, जिससे अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

राजकीय अभिभाषक ने तहसीलदार द्वारा दिये गये आदेश को साक्ष्य सबूतों को लेकर दिया आदेश बताते हुए कहा कि विवादित भूमि बिलानाम नहीं होने से अतिक्रमी नहीं माना है जिसमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। दीवार व दरवाजे से रस्पोडेंट या

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अन्य कोई किस प्रकार प्रभावित हो रहे है रिकोर्ड से यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है।

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में धारा–5 मयाद के आवेदन को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित समझा जाता है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मूल आराजी नम्बर 2295/1 में से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ समर्पित भू–भाग 0.02 बीघा पर समर्पणकर्ता द्वारा अवरोधक दीवार व दरवाजे को अतिक्रमण नहीं मानने के तहसीलदार, वल्लभनगर के आदेश दिनांक 22.07.2020 को जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 29.11.2021 को निरस्त करते हुए इसे नियमों व तथ्यों के प्रतिकूल मानते हुए तहसीलदार के त्रुटिपूर्ण विवेचन पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। इस दरम्यान न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर में अपीलार्थी श्री कुन्दनलाल मेघवाल द्वारा दिनांक 08.08.2022 को जिला कलक्टर, उदयपुर को संदर्भित आदेश की अनुपालना हेतु एक आवेदन किया एवं तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में इस बाबत रिट याचिका दायर की गई, जिसमें दिनांक 11.12.2024 को जिला कलक्टर, उदयपुर को चार सप्ताह में निष्पादन कार्यवाही सम्पूरित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजात में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर की पत्रावली संख्या 84/2025 में तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा प्रस्तुत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में प्रस्तुत अपील से संबंधित भूमि पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.09.2025 को दिया जाना प्रदर्श है, जिसमें धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का दावा भी होना लाज़िमी है, जिसमें बाद साक्ष्य सुबूत अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 29.11.2021 को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ समर्पित भूमि जिसका राजस्व

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

08/06/22
31/08/22

अभिलेख में ' बिलानाम सरकार ' अंकन हो चुका है, पर किए गए अवरोधक निर्माण के संबंध में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही संबंधी आदेश में कोई तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं पाए जाने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझा जाता है तथा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर सत्यमेव जयते

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)